SHRI RIPUN BORA: Sir, the hon. Minister has replied that in some cases, the Government has taken legal action against the parties who were suspended or banned. Now, my question to the hon. Minister is this. Since there are specific guidelines, in spite of these guidelines, how have these companies been given contracts? Is it done by violating the guidelines and afterwards they are going about filing cases? This is my question.

DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE: Sir, there are guidelines for penalties in business dealings with entities which include appropriate measures to deal with acts of impropriety on the part of entities seeking to enter into a contract or having entered into a contract for the procurement of goods and services by the Ministry of Defence. The competent authority may levy financial penalties or suspend or ban business dealings with entities for one or more of the grounds including violation of the pre-integrity pact, resort to corrupt practice, unfair means and illegal activities, violation of standard clauses in the contract of agents and agencies, national security consideration, non-performance, under-performance, as per the terms and conditions of the contract and any other ground in the public interest. These are the guidelines. If these are violated, then necessary action is taken.

भूमिगत जल का यूरेनियम से संदूषित होना

*199. **श्री मोतीलाल वोरा** : क्या **जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमरीका की ड्यूक यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा भारत में भू-जल पर किए गए सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि सोलह राज्यों में भू-जल में यूरेनियम की मात्रा निर्धारित मानकों से काफी अधिक है;

(ख) क्या राजस्थान के सभी कुओं के जल में यूरेनियम की मात्रा निर्धारित मानकों से काफी अधिक है;

(ग) क्या भारतीय मानक ब्यूरो के पेयजल संबंधी दिशानिर्देशों में यूरेनियम को प्रदूषकों की सूची में शामिल नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा भू-जल को पीने योग्य बनाये जाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(क) और (ख) 'पर्यावरणीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दस्तावेज, 2018' में प्रकाशित "भारत में भूमिजल संसाधनों में बड़े पैमाने पर यूरेनियम सदूषण' नामक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान समेत 16 भारतीय राज्यों में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अस्थाई दिशा-निर्देश में उल्लिखित प्रति लीटर यूरेनियम में 30 माइक्रोग्राम की मात्रा की अपेक्षा यूरेनियम सकेंद्रण की मात्रा अधिक बताई गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान में विश्लेषित 226 कुओं में से 75 कुओं में, यूरेनियम के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अस्थाई स्वास्थ्य दिशा-निर्देश में निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में यूरेनियम पाया गया है।

(ग) और (घ) पेयजल विनिर्देशों के संबंध में भारतीय मानक 10500:2012 में अल्फा और बीटा उत्सर्जकों के रूप में रेडियो एक्टिव अवशेक्षों के विषय में अपेक्षाएं निर्धारित की गई हैं। इन अपेक्षाओं में यूरेनियम सहित सभी रेडियो एक्टिव तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। विशेष रूप से कोई एक रेडियो एक्टिव तत्व का पता नहीं लगाया गया है।

(ङ) पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। राज्य सरकारें, ग्रामीण जनसंख्या को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने की स्कीम की योजना, डिजाईन, अनुमोदन, निष्पादन तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण करती हैं। एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत राज्यों को दी गई निधियों का उपयोग, कवरेज और जल गुणवत्ता समस्याओं से निपटने के लिए किया जा सकता है।

इसके अलावा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय "अटल शहरी नवीकरण एवं परिवतन मिशन" के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहयोग करता है। अटल शहरी नवीकरण एवं परिवर्तन मिशन के तहत किसी परियोजना का चयन, मूल्यांकन, अनुमोदन, कार्यान्वयन संबंधित सरकार द्वारा किया जाता है। मंत्रालय केवल मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य की वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन करता है और केन्द्रीय सहायता जारी करता है।

Uranium contamination in ground water

†*199. SHRI MOTILAL VORA: Will the Minister of WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION be pleased to state:

(a) whether Government is aware that the survey of researchers of Duke University of America on ground water in India have found that 16 States have higher presence of Uranium in ground water than the prescribed norms;

(b) whether all wells of Rajasthan contain Uranium higher than the prescribed norms;

(c) whether Uranium is not included in the list of pollutants as per the Bureau of Indian Standards' drinking water specifications;

† Original notice of the question was received in Hindi.

(d) if so, Government's reaction thereon; and

(e) the steps taken by Government to make ground water potable?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) As per the report titled "Large Scale Uranium Contamination of Groundwater Resources in India" published in 'Environmental Science & Technology Letters, 2018', 16 Indian States including Rajasthan have been reported to have high prevalence of Uranium concentration above the World Health Organization (WHO) provisional guideline value of 30 micrograms of uranium per liter. As per this report 75 wells out of 226 wells analyzed in Rajasthan have been reported to exceed the WHO provisional health guideline value for Uranium.

(c) and (d) The Indian Standard IS-10500: 2012 for Drinking Water specification has specified requirements for radioactive residues as alpha and beta emitters. These requirements take into account all radioactive elements including uranium. No individual radioactive elements have been specifically identified.

(e) Drinking water supply is a State subject. Ministry of Drinking Water & Sanitation (MoDWS) supplements the efforts of the States by providing them with technical and financial assistance through the centrally sponsored National Rural Drinking Water Programme (NRDWP). It is the State Governments who plan, design, approve, execute and operate & maintain the schemes for providing safe drinking water to rural population. The funds provided to the States under NRDWP can be utilized for coverage and tackling water quality problems.

Further, Ministry of Housing and Urban Affairs, through "Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT)", supplements the efforts of the States/ Union Territories (UTs) in providing drinking water in urban areas. Under AMRUT Mission, individual projects are selected, appraised, approved and implemented by the concerned State Government. The Ministry only approves State Annual Action Plans (SAAPs) and releases Central Assistance (CA) as per the Mission guidelines.

श्री मोतीलाल वोराः माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि देश के 16 राज्यों में भूजल में यूरेनियम की मात्रा अधिक होने से वे प्रदूषित हैं। मैं यह जानना चाहता हूं

कि देश के वे 16 राज्य कौन-कौन से हैं? इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान के बारे में आपने जो जानकारी दी है कि 226 कुओं में से 75 कुओं में यूरेनियम के संबंध में निर्धारित मात्रा से अधिक यूरेनियम है, तो माननीय सभापति महोदय, यह जो जन-स्वास्थ्य के साथ बहुत भारी खिलवाड़ है।

MR. CHAIRMAN: Let us hear the answer. आपके पास second supplementary है।

श्री अर्जुन राम मेघवालः सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, उसके उत्तर में मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि एक 'Environmental Science & Technology Letter, 2018' है, जिसने 16 राज्यों की स्टडी की है। इनमें से राजस्थान भी एक है। इन सभी राज्यों की लिस्ट दी गई है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः यहां टेबल पर आकर थोड़ा शांति से बात करिए, इससे हम लोगों का ध्यान डायवर्ट होता है। जब भी कोई सदस्य यहां आए, तो उनको यह बात बताइए।

श्री अर्जुन राम मेघवालः सर, उन्होंने 226 कुओं की जांच भी की है, जिनमें से 75 कुओं में इसकी मात्रा ज्यादा पाई गई है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमारी Indian Standard की जो गाइडलाइंस हैं, उनमें यह कोई पैरामीटर नहीं है और हमारा infrastructure भी उस तरह का नहीं है। हमारे यहां Groundwater Department पेयजल की जांच करता है। जब यह रिपोर्ट आई है, तो जैसे माननीय सदस्य चिंतित हैं, हमें भी चिंता हुई। मैं भी राजस्थान से आता हूं और राजस्थान की रिपोर्ट में भी यह पाया गया है। आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को यह कहना चाहता हूं ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः उन्होंने सीधा सवाल पूछा है कि 16 स्टेट्स कौन सी हैं?

श्री अर्जुन राम मेघवालः सर, उन राज्यों की लिस्ट दी गई है। राजस्थान भी उनमें से एक राज्य है।

श्री सभापतिः आपके उत्तर में 16 स्टेट्स के नाम नहीं हैं।

श्री अर्जुन राम मेघवालः सर, इन राज्यों के नाम मैं अभी पढ़ देता हूं।

श्री सभापतिः नहीं, बाद में, you place the list on the Table.

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: Sir, I will submit it. इन राज्यों के नाम मैं पढ़ भी देता हूं। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, पंजाब ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः मंत्री जी, आप यह लिस्ट माननीय सदस्य को बाद में भेज दीजिएगा।

श्री अर्जुन राम मेघवालः जी सर, मैं भेज दूंगा, लेकिन अगर आप इजाज़त दें, तो मैं इन राज्यों के नाम पढ़ भी देता हूं। जम्म-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं गुजरात।

श्री मोतीलाल वोराः माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी आपके सामने 16 राज्यों के नाम गिनाए हैं। क्या केन्द्र सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है कि भू-जल में जो यूरेनियम की मात्रा अधिक है, उस पर समुचित कार्यवाही की जाए? दूसरा, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी पूछना चाहता हूं कि आपने इन राज्य सरकारों को इसके लिए कितनी अनुदान राशि दी है?

श्री अर्जुन राम मेघवालः सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि एक Bhabha Atomic Research Centre है, जिसमें 2014 से National Uranimu Project चल रहा है। इसमें जल के samples लेकर उनको study करते हैं। वहां पर 10,000 से ज्यादा samples लेकर उन पर study किया गया है, जिनमें 2% samples में यूरेनियम की मात्रा WHO standard से ज्यादा पाई गई है।

जहां तक राज्यों को इसके लिए सहायता देने का विषय है, तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि drinking water राज्यों का विषय है। माननीय सदस्य स्वयं इस बात को जानते हैं, लेकिन जब-जब भी राज्यों को आवश्यकता होती है, तो Central Government उन्हें technical and financial assistance उपलब्ध करवाती रहती है। हमारे यहां 'National Rural Drinking Water Programme' चल रहा है, जिसमें water quality को लेकर हमारा 'National Water Quality Sub-Mission' है। जब-जब भी राज्य केन्द्र से किसी प्रकार की कोई मांग करते हैं, तो उन्हें हम सहायता उपलब्ध करवाते हैं।

श्री मोतीलाल वोराः सभापति महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः आपका सवाल हो गया है। Motilalji, I cannot go against the procedure.

SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN: The World Health Organisation has set a provisional water standard of 30 micrograms of uranium per litre for India, a level that is consistent with US Environmental Protection Agency standards. Despite this, uranium is not yet included in the list of contaminants monitored under the Bureau of Indian Standards' Drinking Water Specifications. What I want to know is this. The indiscriminate extraction of groundwater is the main reason for the contaminants.

MR. CHAIRMAN: What is your question then?

SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN: What are the steps the Government proposes to take to contain uranium contaminants and indiscriminate extraction of groundwater?

श्री अर्जुन राम मेघवालः सभापति जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, यह बात सही है कि हमारी जो IS Guidelines हैं, उनमें drinking water के ये parameters नहीं हैं। You are right. लेकिन जो blocks over exploited होते हैं, उनको हम identify करते हैं और इसके लिए हमारी योजनाएं हैं, जिनमें हम पानी की जांच करते हैं। हमारी एक 'अटल भूजल योजना' है, जिसे हम सात राज्यों में लागू करने वाले हैं। The Government is committed कि यहां के नागरिकों को हम शुद्ध पानी पिलाएं।

SHRI K.T.S. TULSI: Sir, I want to say that the biggest looming crisis in the country is the drinking water. I don't have to stress that point. Fifty-four per cent of the country faces high to extremely high levels of water stress and 80 per cent of the water that is supplied in rural areas is unfit for human consumption.

MR. CHAIRMAN: What is your question?

SHRI K.T.S. TULSI: My question is: Is it correct that in 2016-17, only five per cent of the allotted funds were used and in the two preceding years, only fifteen per cent was used? This is a crisis which is looming over the country and even the allotted funds are not being utilised,

श्री अर्जुन राम मेघवालः सभापति जी, जैसे मैंने पहले कहा कि water is a State subject और हम यहां से राज्यों को technical and financial assistance उपलब्ध कराते हैं। इस विषय में मेरे पास आंकड़ा है। उसके मुताबिक हमने अलग-अलग राज्यों को जो सहायता उपलब्ध करायी है, उसका डेटा भी है। मैं इसे टेबल पर भी कर दूंगा। इन्होंने जो क्वेश्चन किया है कि खर्च क्यों नहीं होता, तो जो monitoring का विषय है, वह भी राज्यों के पास है। फिर भी माननीय सदस्य ने जो बात कही है, तो हम सेंटर से जांच करायेंगे और माननीय सदस्य को पूरा विवरण पेश करेंगे।

DR. L. HANUMANTHAIAH: Sir, world study says that there are 16 States which have polluted water, not drinkable, but in the answer, it is said that as per Indian standards IS-10500:2012, no individual radioactive elements have been specifically identified. I want to ask the Minister: are world standards and Indian standards different?

श्री अर्जुन राम मेघवालः सभापति जी, जैसे मैंने पहले बताया कि यह जो स्टडी हुई थी, यह Environment Science and Technology Letter, 2018 के द्वारा publish हुई है। हमारे डिपार्टमेंट का जो विषय है, तो मैं आपको पहले भी जिक्र किया कि radioactive material in general ही parameter में हैं। जो particular हैं, ये parameter में नहीं हैं, फिर भी माननीय सदस्य ने एक महत्वपूर्ण विषय उठाया है और हम निश्चित रूप से इसकी जांच करके एक long term policy भी बनाने वाले हैं।

बिहार में नदियों को परस्पर जोड़े जाने संबंधी योजना

***200. श्री अहमद अशफाक करीमः** क्या **जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार में नदियों को परस्पर जोड़े जाने संबंधी योजना को किन-किन योजनाओं के अंतर्गत शामिल किया गया है;